सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट

2013-14

मार्च, 2013

प्राक्कथन

राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या का अनुपात महत्वपूर्ण है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है । बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान से संबंधित विवरण उन योजनाओं को उजागर करता है जो मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए हैं । ये शैक्षिक परिव्ययों, बालिकाओं के लिए विशिष्ट योजनाओं तथा बाल सुरक्षा आदि के लिए प्रावधानों को इंगित करते हैं ।

वर्ष 2013-14 से बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट से संबंधित विवरणी की शुरूआत की जा रही है । इसमें निम्नलिखित विभागों द्वारा बाल कल्याण योजनाओं पर किए जाने वाले बजट प्रावधान का उल्लेख किया जा रहा हैः-

1. कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।
2. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।
3. शिक्षा विभाग ।
4. समाज कल्याण विभाग ।
5. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।
6. श्रम संसाधन विभाग ।
7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।

आगामी वर्ष में अन्य विभागों को भी, जो बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं पर राशि व्यय करते हैं, शामिल किया जाएगा ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	बजट 2012-13	संशोधित 2012-13	बजट 2013-14
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	244.00	297.00	344.00
2	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	9546.39	63221.39	59733.87
3	शिक्षा विभाग	376815.09	525395.67	460216.80
4	समाज कल्याण विभाग	120950.41	138021.98	134382.20
5	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4000.00	4000.00	7500.00
6	श्रम संसाधन विभाग	175.00	137.00	103.10
7	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	52933.88	58741.42	55567.09
	कुल योग-	**564664.77**	**789814.46**	**717847.06**

नोट :- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर विभागवार विभिन्न परियोजनाओं में उपशीर्षवार प्रावधानित राशि संबंधित उपशीर्ष के कुल प्रावधानित राशि से कम भी हो सकती है ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - कला संस्कृति एवं युवा विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2012-13	संशोधित 2012-13	बजट 2013-14	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	N 2204001040001	विद्यालय खेल	144.00	144.00	144.00	गैर योजना	17 वर्ष एवं 14 वर्ष से कम उम्र के क्रमशः बालक एवं बालिकाओं के लिए विद्यालय खेल का आयोजन कराया जाता है जिसमें राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सरकारी खर्च पर प्रतिभागिता करायी जाती है ।
2	P 2204001040102 P 2204007890101	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना	100.00	153.00	200.00	राज्य योजना	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं हेतु एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों में आधुनिक खेल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य है । वर्तमान में 10 आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।
		योग-	**244.00**	**297.00**	**344.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2012-13	संशोधित 2012-13	बजट 2013-14	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2225031970101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (ब्लॉक पंचायत)	575.00	575.00	12250.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है।
2	P 2225032770101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	2250.00	17294.64	11250.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है।
3	P 2225031980101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (ग्राम पंचायत)	1000.00	1000.00	26360.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है।
4	P 2225032770101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	584.64	39215.00	4811.53	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है।
5	P 2225032770101	प्रावैधिकी छात्रवृत्ति	30.00	30.00	30.00	राज्य योजना	प्रावैधिकी महाविद्यालय में पढ़नेवाले पिछड़े वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
6	P 2225032770101	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	3500.00	3500.00	3500.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप 10000/- रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है।
7	P 2225032770101	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	390.00	390.00	390.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

8	C 2225032770602	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	390.00	390.00	390.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है।
9	N 2225032770010	12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	787.99	787.99	637.24	गेर योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए 12 आवासीय कन्या उच्च विद्यालय संचालित हैं जिसमें वर्ग 6 से 12 की कक्षाएं संचालित की जाती हैं।
10	N 2225032770002	छात्रावासों का संधारण	38.76	38.76	115.10	गेर योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपि़छड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है ।
		योग-	**9546.39**	**63221.39**	**59733.87**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - शिक्षा विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2012-13	संशोधित 2012-13	बजट 2013-14	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2202011120101 P 2202017890104	मध्याह्न भोजन	30482.16	42982.16	40000.00	राज्य योजना	वर्ग 1 से 8 तक में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है ।
2	P 2202011110101 P 2202017890103	सर्वशिक्षा अभियान	201800.00	281800.00	304600.00	राज्य योजना	इस योजना के अंतर्गत नए विद्यालय भवन का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है ।
3	P 2202011090101 P 2202017890102	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	0.01	29000.01	14682.80	राज्य योजना	प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्रा को 2 जोड़ा स्कूल पोशाक एवं एक जोड़ी जूते के क्रय हेतु 500/- रूपए नकद उपलब्ध कराया जाता है।
4	P 2202011090102	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.01	7000.01	10000.00	राज्य योजना	प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 6 से 8 में नामाकित प्रत्येक छात्रा को 2 जोड़ी स्कूल पोशाक एवं एक जोड़ी जूते के क्रय हेतु 700/- रूपए नकद उपलब्ध कराया जाता है।
5	P 2202011090103	मुख्मंत्री परिभ्रमण योजना	2000.00	2900.00	1000.00	राज्य योजना	छात्र छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय को प्रतिवर्ष 10000/- रूपए शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

6	P 2202021070105 P 2202027890101	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	18008.10	19818.85	20600.00	राज्य योजना	9 वीं वर्ग में विद्यालयों में नामांकित छात्रों को 2500/- रूपए प्रति छात्र की दर से साईकिल क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।
7	P 2202021070106 P 2202027890102	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	20597.50	19029.23	18000.00	राज्य योजना	9 वीं वर्ग में विद्यालयों में नामांकित छात्राओं को 2500/- रूपए प्रति छात्रा की दर से साईकिल क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।
8	P 2202021070107 P 2202031070104	मुख्यमंत्री शताब्दि बालिका पोशाक योजना	0.01	22000.02	10000.00	राज्य योजना	वर्ग 9 से 12 में नामांकित प्रत्येक छात्रा को 2 जोड़ी स्कूल पोशाक एवं 1 जोड़ी जूते के क्रय हेतु 1000/- रूपए नकद उपलब्ध कराया जाता है।
9	P 2202021070108	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	4500.00	5964.30	6000.00	राज्य योजना	10 वीं वर्ग की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को 10000/- रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
10	P 2202021090107	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20549.97	16023.76	10500.00	राज्य योजना	इस योजना के अंतर्गत नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना शामिल है।
11	C 2202021090607	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	73577.33	73577.33	21000.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	इस योजना के अंतर्गत नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना शामिल है।
12	P 4202012020103	बालिका छात्रावास	2500.00	2500.00	1000.00	राज्य योजना	आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है ।

13	P 4202012020103	मॉडल स्कूल	2500.00	2500.00	2500.00	राज्य योजना	प्रत्येक प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूल विकसित किया जा रहा है ।
14	C 2202021090605	आई०सी०टी० परियोजना	300.00	300.00	334.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है ।
		योग-	**376815.09**	**525395.67**	**460216.80**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - समाज कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2012-13	संशोधित 2012-13	बजट 2013-14	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2235021020115	समेकित बाल संरक्षण योजना	1100.00	1100.00	1350.00	राज्य योजना	बच्चों के व्यापक विकास हेतु सुरक्षित परिवेश के निर्माण करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गयी है । इस योजना के महत्वपूर्ण घटकों में राज्य एवं जिला बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए खुला आशय, दत्तक ग्रहण समन्वय संस्था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ईकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद आदि हैं ।
2	C 2235021020615	समेकित बाल संरक्षण योजना	3300.00	3415.22	3000.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	
3	P 2235021060107	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	150.00	150.00	180.00	राज्य योजना	इस योजना के अंतर्गत बाल अधिकार विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित एवं शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है ।
4	P 2235021060106	बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	220.00	220.00	610.00	राज्य योजना	किशोर न्याय (बालकों के देख-रेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत राज्य स्तरीय बाल संरक्षण एकक एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण एकक का गठन किया गया है ।

5	P 2235021030111 P 2235027890109	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	6000.00	7200.00	6000.00	राज्य योजना	राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने, लिंग अनुपात में वृद्धि लाने एवं बच्चों के जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य भर में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों में कन्या के जन्म पर 2000/- रूपए की राशि प्रति कन्या एकमुश्त अनुदान के रूप में यू०टी०आई० म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेंस्ड प्लान में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है ।
6	P 2235021020116	परवरिश	0.00	0.00	1000.00	राज्य योजना	परिवार तथा अभिभावक विहिन बच्चों को उनके दत्तक परिवार में पालन पोषण के प्रति परिवारों को पालन पोषण अनुदान भत्ता प्रदान कर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी है । इस योजना के अंतर्गत पालक परिवार को आर्थिक सहायता के साथ ही सामूहिक स्वास्थ्य बीमा एवं बच्चे के नाम से पूंजीगत अनुदान निवेशित की जाएगी ।

7	N 2235021060001	प्रतिप्रेक्षण गृह	0.00	356.35	382.75	गैर योजना	किशोर नयाय के अंतर्गत राज्य में एक विशेष गृह पटना में तथा 10 पर्यविक्षण गृह यथाः दरभंगा, छपरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णियाँ, बेतिया, पटना एवं मुंगेर जिलों में एवं 2 बाल गृह पटना एवं बेगुसराय तथा एक बालिका गृह पटना में संचालित किया जा रहा है ।
8	P 2235021020117 P 2235027890103	आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	8021.10	8321.10	1639.76	राज्य योजना	राज्य के बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कुल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को 250/- रूपए वार्षिक लागत की दर पर पोशाक योजना आरंभ की गयी है ।
9	P 2235021020118 P 2235027890102	सबला	6003.91	7703.91	6375.00	राज्य योजना	राज्य के 12 जिलों यथाः पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बाँका एवं मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है ।
10	C 2235021020618	सबला	10457.80	10457.80	13418.80	केन्द्र प्रायोजित योजना	

11	P 2236021010102 P 2236027890101	पूरक पोषाहार	27099.01	40499.01	29537.00	राज्य योजना	राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91677 आंगनबाड़ी केन्द/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र जिनके माध्यम से प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र से औसतन 6 माह से 6 वर्ष तक के 80 बच्चों, 16 गर्भवति/शिशुवती महिलाओं तथा 3 किशोरी बालिकाओं को एवं प्रति मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र से औसतन 6 माह से 6 वर्ष तक के 40 बच्चों, 8 गर्भवति/शिशुवती महिलाओं तथा 2 किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने की योजना है।
12	C 2236021010602	पूरक पोषाहार	58598.59	58598.59	70888.89	केन्द्र प्रायोजित योजना	
		योग-	**120950.41**	**138021.98**	**134382.20**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2012-13	संशोधित 2012-13	बजट 2013-14	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	C2202021070603	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	4000.00	4000.00	7500.00	केन्द प्रायोजित योजना	वर्ग 1 से 10 वीं तक में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । वर्ग 1 से 5 तक रू0 100/- प्रति माह एवं वर्ग 6 से 10 तक रू0 100/- प्रतिमाह + 600/- प्रतिमाह (छात्रावास में रहने वालों छात्रों को) अथवा वास्तविक व्यय संधारण व्यय के रूप में भुगतान किया जाता है । नामांकन फी वर्ग 6 से 10 तक रू0 500/- प्रति वर्ष अथवा वास्तविक व्यय (डे स्कॉलर + हॉस्टलर) । कक्षा 6 से 10 तक ट्यूशन फी रू0 350/- प्रतिमाह अथवा वास्तविक व्यय (हॉस्टलर + डे स्कॉलर) ।
		योग-	**4000.00**	**4000.00**	**7500.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - श्रम संसाधन विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2012-13	संशोधित 2012-13	बजट 2013-14	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2230011030103	बाल श्रमिक पुर्नवास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	175.00	137.00	103.10	राज्य योजना	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा-3 के अनुसार 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिको का नियोजन प्रतिबंधित है । बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों की विमुक्ति जारी है । विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को एक माह का राशन हेतु 1500 रूपये एवं वस्त्र हेतु 300 रूपये का भुगतान किया जा रहा है । जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बाल श्रमिक सह कल्याण कोष में 1210 विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए 5000 रूपये प्रति बाल श्रमिक की दर से कुल 60.50 लाख का आवंटन संबंधित जिला पदाधिकारियों को दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2013-14 में 800 बाल श्रमिकों हेतु 5000 रूपये प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से कुल 40 लाख रूपये जिला स्तर पर गठित बाल श्रमिक पुर्नवास सह कल्याण कोष में जमा करने का लक्ष्य है ।
		योग-	**175.00**	**137.00**	**103.10**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2012-13	संशोधित 2012-13	बजट 2013-14	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2225011970101 P 2225011980101 P 2225012770107 P 2225021970101 P 2225021980101 P 2225022770101	विद्यालय छात्रवृत्ति/ मुशहर छात्रवृत्ति/ प्रावैधिकी छात्रवृत्ति	43415.00	43415.00	43102.00	राज्य योजना	वर्ग 1 से 10 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति विभिन्न दरों पर प्रदान की जाती है ।
2	C 2225012770606 C 2225012770617	अस्वच्छ छात्रवृत्ति/ विद्यालय छात्रवृत्ति	100.00	5567.24	1100.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	
3	N 2225011970001 N 2225011970002 N 2225011980001 N 2225012770007	अस्वच्छ छात्रवृत्ति/ मुशहर छात्रवृत्ति	95.00	95.00	95.00	गैर योजना	
4	N 2225022770004 N 2225012770003	आवासीय विद्यालय	7055.14	7055.14	8356.25	गैर योजना	आवास की व्यवस्था के साथ-साथ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ।
5	N 2225012770002 N 2225022770003	छात्रावास संधारण	613.74	613.74	753.84	गैर योजना	आवासन की सुविधा दी जाती है ।
6	N 2225012770011 N 2225022770001	परीक्षाशुल्क प्रतिपूर्ति	85.00	85.00	85.00	गैर योजना	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के परीक्षा शुल्क से छुट के फलस्वरूप हुई क्षति की राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है ।
7	C 2225012770609	मेरिट उन्नयन योजना	50.00	50.00	25.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	9 वीं एवं 12 वीं वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था ।
8	P 2225012770107 P 2225022770101	मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना	1520.00	1860.30	2050.00	राज्य योजना	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को 10000/- रूपए प्रति छात्र-छात्रा को मेधावृत्ति के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ।
		योग-	**52933.88**	**58741.42**	**55567.09**		